

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 219/2024
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2024/334

- 1- गोपाल पिता मोती लुहार निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- चान्दी पत्नी रामस्वरूप लुहार निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-प्रार्थीगण

बनाम

- 1- मांगी देवी पत्नी सोहन लूहार निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- मनभर पत्नी गोमा लूहार निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- गोपाल पिता सुवा लूहार निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- सलीम खां पिता उम्मेद खां कायमखानी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- रामस्वरूप पिता मगना जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- प्रहलाद पिता गोकुल लूहार निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- नारायण पिता लादू गाडरी निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- रामचन्द्र पिता बालू जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- कैलाश पिता भैरू जाट निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- रामजस पिता गोमा लूहार निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 11- रामनिवास पिता गोकुल लूहार निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 12- शिमला पुत्री गोमा लूहार निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 13- सत्यनारायण पिता गोमा लूहार निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 14- सोहनी पत्नी गोकल लूहार निवासी प्रतापपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 13/06/2024

उपस्थित :-

1. श्री रामप्रसाद जाट :

::- निर्णय -::

दिनांक : 04/05/2026

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 प्रतापपुरा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 465 रकबा 0.76 है0, 484 रकबा 0.25 है0, 486 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 रकबा 1.19 है0 कृषि भूमि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदार की स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ोसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थीगण दिनांक 20.05.2024 को अपनी आराजियात को हांकने गये तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस प्रकार प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थीगण की उक्त वर्णित संयुक्त खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 प्रतापपुरा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता 3 रकबा 1.19 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु न्यायहित में आदेश फरमावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। बावजूद सम्यक् तामिली विपक्षीगण 1, 2, 4 लगायत 10, 13 को पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई विपक्षीगण सं. 3, 11, 14 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की गयी।

आज दिनांक **04/05/2026** को अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, **जमाबंदी संवत् 2075 से 2078 ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 प्रतापपुरा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा** के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण वादगस्त आराजी **खसरा नम्बर 465 रकबा 0.76 है0, 484 रकबा 0.25 है0, 486 रकबा 0.18 है0 कुल किता 3 रकबा 1.19 है0** अभिलिखित संयुक्त खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार **शाहपुरा** को प्रार्थीगण की **संयुक्त खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात** का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थीगण के खर्चे पर प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझता हूँ।

--:आदेश:-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी की आराजी राजस्व **ग्राम प्रतापपुरा प0ह0 प्रतापपुरा भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा तहसील शाहपुरा के खेत की आराजी खसरा नम्बर 465 रकबा 0.76 है0, 484 रकबा 0.25 है0, 486 रकबा 0.18 है0** एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर रिकार्ड अनुसार माप करवाते हुए प्रार्थीगण की आराजी की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। भू-अभिलेख निरीक्षक **बोरड़ा** को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी हेतु कमिश्नर **फीस 1000/- रूपये** कायम किये जाते हैं, जो प्रार्थीगण से **भू0अ0निरीक्षक बोरड़ा** मौके पर प्राप्त करें। कमिश्नर उभयपक्षकारान को विधिवत नोटिस तामिल करा वक्त कार्यवाही उन्हें मौके पर उपस्थित रहने हेतु पाबंद करावें। दौराने कार्यवाही संबंधित खातेदारों के मौके कब्जे में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए। प्रकरण में प्रश्नगत आराजी की सीमाओं में विवाद होने की दशा में मौका फर्द में इसका अंकन किया जाकर, सीमाओं में किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं करते हुए कब्जा प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु पाबंद किया जावे। उक्त आदेश के तहत किसी भी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेदबदल नहीं किया जावे। प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में किसी न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं न्यायालय का स्थगन होने की दशा में पत्थरगढी की कारवाई नहीं की जावे। यदि सम्पूर्ण भूमि पर अन्य काश्तकार/व्यक्ति काबिज है तो पत्थरगढी की कार्यवाही नहीं की जाकर तदनुसार रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्थरगढी से पूर्व समस्त पक्षकारान(**किसी भी पक्षकारान की मृत्यु की स्थिति में उनके विधिक वारिसान**) को सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों। निर्णय आज दिनांक **04/05/2026** को सुनाया गया

(सुनील कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि उक्तानुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट भिजावें।

सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा